



## Q218 - Define clear timelines mandated through legislation for approval of complete application

**Proof 1:** All types of registrations (VAT, CST, PT, LEEAT) are being issued within 1 working day as part of Citizen Charter issued by the Department.

**Department of Commercial Tax**  
Government of Madhya Pradesh  
(VAT, CST, ET, PT, LEAT)



**वाणिज्यिक कर विभाग**  
मध्य प्रदेश शासन  
(वैट, सीएसटी, ईटी, पीटी, एलईएटी)

Go to New Version |  A-Z A A A

Site Search

---

General

Acts

Citizen Charter

Statistics

Current News

Tenders/Offers

E-SERVICES

Registration

Amendment

Transfer in Business Place

Returns

Payment

Declaration Form

Submit date/time of entry in MP

Generate Form 49 with keys

Challan Generation [New](#)

How to use e-Services effectively

Form 50 [New](#)

Form 59 Transhipment

TRACK APPLICATION

Track Application

USEFUL LINKS

VAT Related Sites

GENERAL

FAQ

FeedBack

Query/Feedback

DOWNLOADS

Download Templates

User Manual

Form 59 Format

VAT Audit Report [New](#)

HELPDESK NUMBER

For website related queries, please call on this number during working hours between (10:30AM to 5:30PM) and email id for helpdesk is- helpdesk.mpct@mptax.mp.gov.in

0731-2434005

9425912502(SMS Only)

18002330440(Toll Free No)

You are here: [Home](#) >> Citizen Charter


सीटीजन चार्टर

क्र.सं.	कार्य / गतिविधि / योजना का नाम	प्रभारी / विहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित समायावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है उसका पदनाम	शिकायत निराकरण हेतु समय सीमा
1	स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना	वाणिज्यिक कर अधिकारी	1 दिन	संभगीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
2	पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	30 दिन	संभगीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
3	कर समाशोधन प्रमाण पत्र जारी किया जाता	वाणिज्यिक कर अधिकारी	30 दिन	संभगीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
4	घोषणा पत्र फार्म सी तथा फार्म एक जारी किया जाता	वाणिज्यिक कर अधिकारी	2 दिन	संभगीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
5	प्रमाणित प्रतिनिधियों का प्रदाय:	वाणिज्यिक कर अधिकारी		संभगीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
	(अ) सामान्य आवेदन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	4 दिन	संभगीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
	(ब) नुरत (अरनरुट)	वाणिज्यिक कर अधिकारी	2 दिन	संभगीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
6	बापसी अट्रेश जारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी / सहायक आयुक्त	10 दिन (कर निर्धारण अट्रेश कर के बाद)	संभगीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन

टीप:- यदि शिकायत प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित समायावधि में शिकायत का निराकरण नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विभाग के आयुक्त को आवेदन दिया जा सकता है। अथवा आवेदक मुख्यालय को सीधे ई-मेल [commissioner.ho@mptax.mp.gov.in](mailto:commissioner.ho@mptax.mp.gov.in) पर अपनी शिकायत कर सकेगा।

[Back](#)

**Proof 2:** Departmental Administrative Order mandating issuance of certificate within 1 working day.

  
**कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश**

क्रमांक 36/2016-17/30/पंद्रह/318 इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2016  
प्रति, पारेपत्र क्र. 122

परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त (समस्त),  
संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर (समस्त)  
उपायुक्त एल.टी.यू. इन्दौर,  
उपायुक्त आडिट विंग (समस्त)  
वाणिज्यिक कर अधिकारी (समस्त)  
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (समस्त)  
मध्यप्रदेश


**विषय :-** ईज ब्रूइंग बिजनेस के अनुपालन में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीयन जारी करने के सम्बन्ध में।

-0-

विषयांतर्गत निर्देशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत पंजीयत व्यवसायों द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत केन्द्रीय विधान में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। विभाग द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्धारित प्रतिभूति की राशि व्यवसाई द्वारा जमा कराई जानी होती है।

उपरोक्त के पालन में व्यवसाई द्वारा निर्धारित प्रतिभूति की राशि जमा करने सम्बन्धी साक्ष्य कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात् एक कार्य दिवस की अवधि में व्यवसाई को केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

  
(राजेश कुमार सिंह)  
आयुक्त  
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश  
इन्दौर